न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 56 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 308

1. सन्तवीर सिंह पुत्र दलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 57 जीबी तहसील अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 18/07/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण(प्र.सं. 85 / 23) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्र.सं. 03 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी ने अपीलांट के पिता दलवीर सिंह को अपीलाधीन भूमि चक 53 जीबी के प.नं. 227 / 455 मु.नं. 46 कि.नं. 5 / .228, 6 / .253, 8—9 / 0.506, 10 / 0.202 की कुल 1.189है. राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए भू राजस्व का 50 गुणा 475 / — रूपये की शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण पश्चातवर्ती अतिक्रमण का सिद्ध होने व अप्रार्थी कुटिल प्रवृत्ति का होने के कारण अप्रार्थी को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है तथा फसल को निलाम करने के आदेश दिए गये हैं के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गयी जिस पर पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दायर करने के आदेश पारित किये गये। प्रत्यर्थी को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।
3. अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की अपील पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन राजकीय भूमि पर अपीलार्थी के पिता दलवीर सिंह को अतिचारी घोषित कर तीन माह के सिविल कारावास से आलौच्य आदेश दिनांक 29.03.2023 द्वारा दण्डित किया गया। अपीलार्थी के पिता दलवीर सिंह की मृत्यु दिनांक 07.05.2023 को हो चुकी है तथा जिनके देहान्त उपरान्त अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का हित निहित हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध है तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया हैं। आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया और साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया। नोटिस की तामील भी अपीलार्थी के पिता पर सम्यक रूप से नहीं हुई। रिकार्ड में रकबा राज दर्ज हैं। चक 53 जीबी मु.नं. 16,45,46 की 10.321है. नहरी भूमि अपीलांट के दादा गुरदयाल सिंह के नाम से थी जो गुरदयाल सिंह के देहान्त के पश्चात अपीलार्थी के पिता दलवीर सिंह को विरास्तन प्राप्त होकर रिकार्ड में दर्ज हुई। भूमि पर कब्जा अपीलांट के पिता के देहान्त उपरान्त विधिक वारिस होने से अपीलांट का हैं। वर्ष 2000 में आवंटन निरस्त होने से भूमि रकबा राज दर्ज हुई हैं। भूमि पर कब्जा 70—80 वर्षों से हैं। आलौच्य आदेश एकपक्षीय पारित होने से अपीलार्थी को आलौच्य आदेश की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

की गयी हैं। जिसे ग्रहण करते हुए स्वीकार कर आलौच्य आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि आलौच्य आदेश विधिसम्मत पारित किया गया हैं। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं। अपीलार्थी के पिता राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण आदेश पारित किया गया हैं। अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की गयी हैं। अपील सारहीन हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. वकील अपीलार्थी व प्रत्यर्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2023 को दलवीर सिंह को नोटिस प्रेषित किया जो कि पुत्र अर्थात संतवीर सिंह अपीलार्थी पर तामील हुआ हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.01.2023 पर अंकित हैं कि अप्रार्थी उपस्थित एवं जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा इसके पश्चात दिनांक 03.03.2023 को पुनः अवसर चाहा गया आदेशिका दिनांक 28.03.2023 पर अंकित हैं कि बार–बार अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया। तथा दिनांक 29.03.2023 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा कथन करना कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पिता पर नोटिस की तामील सम्यक रूप से तामील नहीं की गयी हैं तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हैं स्वीकार्य नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया हैं कि पूर्व में भूमि उनके दादा तथा उनके पश्चात उनके पिता के नाम से रिकार्ड दर्ज थी जिसका आवंटन वर्ष 2000 में निरस्त हो गया व भूमि रकबा राज दर्ज की गयी तथा भूमि पर 70--80 वर्षों से कब्जा हैं। इस प्रकार अपीलार्थी स्वंय स्वीकार करते हैं कि अपीलधीन भूमि रकबा राज हैं जिस पर वे काबिज हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी के पिता को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए तथा कृत्य की पुनरावृति किये जाने से पश्चातवर्ती प्रकरण होने के कारण आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। जो न्यायालय की राय में विधिसम्मत हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया हैं कि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 07.05.2023 को हुई हैं आलौच्य आदेश दिनांक 29.03.2023 का हैं ऐसे में अपीलार्थी के पिता निर्धारित समयावधि में अपील दायर कर सकते थे जो नहीं की गयी। अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया हैं कि आलौच्य आदेश की जानकारी उन्हें नहीं थी जबकि प्रकरण में अपीलार्थी के पिता का नोटिस स्वयं अपीलार्थी पर तामील किया गया हैं। एवं अपीलार्थी के पिता प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी हुए हैं। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई युक्तियुक्त कारण अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से भी न्यायालय सहमत हैं। ऐसी स्थिति अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील लम्बित समस्त प्रार्थना पत्रों सहित अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18/07/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़.